(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संस्था को देश में अपना कार्यालय खोलने देने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे और इस संस्था को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ; और

(ङ) क्या भारत के प्रतिनिधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को रुग्ण एकक का निजीकरण करने का कोई आश्वासन दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। नवम्बर, 1991 से नई दिल्ली में एक निवासी प्रतिनिधि कार्यालय ने काम करना शुरु कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बंगला देश और इंडोनेशिया में अपने कार्यालय खोले हैं। निवासी प्रतिनिधि कार्यालय कोष समर्थित कार्यक्रमों के किसी संबंध के बिना स्थापित किए जाते हैं। इंडोनेशिया का इस समय कोष के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यालय खोलने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच आपसी समझ में वृद्धि और सुधार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो नई दिल्ली में तैनात विश्व बैंक के स्टाफ को दी जाती है।

(ङ) जी, हां।

मुम्बई सीमाशुल्क गृह में अनियमितताएं

1795. **श्री अनन्त राम जयस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई सीमाशुल्क गृह के वर्ष 1990-91 के आंतरिक और केन्द्रीय लेखा परीक्षण में वहां की जा रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई गड़बड़ियों और अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है, और क्या यह भी पाया गया है कि उक्त सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट/सूचनाएं देकर सीमाशुल्क बोर्ड को गुमराह किया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करने तथा राजकोष को हुई हानि का पता लगाने का विचार किया है ;

(घ) क्या मुम्बई सीमाशुल्क गृह के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इसमें अंतर्ग्रस्त राशि को वसूल करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सीमाशुल्क गृह, मुम्बई का मार्च, 1991 में किए गये निरीक्षण की रिपोर्ट में कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। बताई गई अनियमितताएं, सीमाशुल्क गृह द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों के विचाराधीन आंकड़ों के बारे में सूचित करने की पद्धति से संबंधित है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर यथा-समय रख दिया जाएगा।

मै०जे० केतय सिंथेटिक्स की ओर बकाया ऋण की वसूली

1796. **श्री अनन्त राम जायस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1991 की स्थिति के अनुसार मै० जे० के० सिंथेटिक्स कानपुर उत्तर प्रदेश पर किन-किन बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अलग-अलग कितना-कितना ऋण बकाया है;